अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ.3067(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 24 जुलाई, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 839 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''उद्यान केयर, 412, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065'' द्वारा "महिलाओं के लिए जगशांति उद्यान केयर हॉस्टल'' की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 475(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 6 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2050(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1086 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 475 (अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 210 लाख रूपए (कार्पस निधि) से बढ़ाकर 210 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 310 लाख रूपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 12 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''उद्यान केयर, 412, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065'' द्वारा चलाई जा रही "महिलाओं के लिए जगशांति उद्यान केयर हॉस्टल'' की परियोजना अथवा स्कीम को 210 लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 310 लाख रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 257/2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(एन. सी)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)